(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 16/2025-State Tax(Rate)

Dated: 22/09/2025

No. F.3 (28)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 931 - In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) , the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 in the notification No.12/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of NCT of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub-section (i), *vide* number F.3(15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(a) In the table, -

(i) against serial number 18, in column (3), after clause (b), the following explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation. - Nothing contained in this entry shall apply to:

(i) local delivery services provided by an Electronic Commerce Operator; or
(ii) local delivery services provided through an Electronic Commerce Operator.";

(ii) after serial number 36B and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"36C	Heading 9971	Services of life insurance business provided by an insurer to the insured, where the insured is not a group. [Please refer to clause (zfb) in para 2] *Explanation:* For the removal of doubts, it	Nil	Nil

		is hereby clarified that: a. This exemption shall apply to a contract of insurance where the insured is an individual, or an individual and family of the said individual. b. For the purposes of (a) above, family shall include all individuals insured as family in the contract of insurance.		
36D	Heading 9971	Services of health insurance business provided by an insurer to the insured, where the insured is not a group. [Please refer to clause (zfb) in para 2] *Explanation:* For the removal of doubts, it is hereby clarified that: a. This exemption shall apply to a contract of insurance where the insured is an individual, or an individual and family of the said individual. b. For the purposes of (a) above, family shall include all individuals insured as family in the contract of insurance.	Nil	Nil
36E	Heading 9971	Reinsurance of the insurance services specified in serial numbers 36C or 36D.	Nil	Nil";

(b) in paragraph 2,

(i) for clause (ze), the following shall be substituted, namely: -

"(ze)'goods transport agency' means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called, but does not include

(i) an electronic commerce operator by whom the services of local delivery are provided,

(ii) an electronic commerce operator through whom the services of local delivery are provided";

(ii) after clause (zfa), the following clause shall be inserted, namely:-

"(zfb) For the purposes of entries at serial numbers 36C and 36D in the table above, 'group' means group of persons who join together with a commonality of purpose or for engaging in a common economic activity, other than availing insurance, and includes:

a. Employer– employee groups, where an employer-employee relationship exists between the master/group policyholder and the members of the group in accordance with the applicable laws;

b. Non employer– employee groups, where a clearly evident relationship exists between the master/group policyholder and the members of the group, for services/ activities other than insurance.";

(iii)after clause (zg), the following clause shall be inserted, namely: -

"(zga) 'health insurance business' means the effecting of contracts which provide for sickness benefits or medical, surgical or hospital expense benefits, whether in-patient or out-patient, travel cover and personal accident cover;".

2. This notification shall come into force with effect from 22nd September, 2025.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Mangej Singh)
Dy. Secretary (Fin.)

The principal notification No. 12/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of NCT of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub-section(i) vide number F.3(15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017 and was last amended vide notification No.06/2025-State Tax (Rate), dated 08th September,2025 ,published in the Gazette of NCT of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub-section(i), vide number F.3(20)/Fin/(Exp-I)/2025-26/DS-I/862, dated 08th September,2025.

No. F.3 (28)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/931 **Dated: 22/09/2025**

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

(Mangej Singh)
Dy. Secretary (Fin.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई .पी .एस्टेट : नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या 16/2025-राज्य कर (दर)

दिनांक: 22/09/2025

फा0सं0 3(28)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/ 931 दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 9 की उप-धारा (3) तथा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की फा0सं0 3(15)/वित्त(राज0-I)/2017-18/डीएस-VI/380 के द्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर) के द्वारा दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 18 के सामने, कॉलम (3) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:

(i) किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली स्थानीय वितरण सेवाएँ; या

(ii) किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली स्थानीय वितरण सेवाएँ।";

(ii) क्रम संख्या 36ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याओं और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36ग	शीर्षक 9971	बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली जीवन बीमा व्यवसाय सेवाएँ, जहाँ बीमित व्यक्ति एक समूह नहीं है। [कृपया पैरा 2 में खंड (जेडएफबी) देखें] स्पष्टीकरण: शंकाओं के निवारण हेतु, एतद द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि: क. यह छूट उस बीमा अनुबंध पर लागू होगी जहाँ बीमित एक व्यक्ति है, या एक व्यक्ति और उसका परिवार है। ख. उपर्युक्त (क) के प्रयोजनों के लिए, परिवार में बीमा अनुबंध में परिवार के रूप में बीमित सभी व्यक्ति शामिल होंगे।	शून्य	शून्य
36घ	शीर्षक 9971	बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय सेवाएँ, जहाँ बीमित व्यक्ति एक समूह नहीं है।	शून्य	शून्य

		[कृपया पैरा 2 में खंड (जेडएफबी) देखें] स्पष्टीकरण: शंकाओं के निवारण हेतु, एतद द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि: क. यह छूट उस बीमा अनुबंध पर लागू होगी जहां बीमित एक व्यक्ति या एक व्यक्ति और उसका परिवार है। ख. उपर्युक्त (क) के प्रयोजनों के लिए, परिवार में बीमा अनुबंध में परिवार के रूप में बीमित सभी व्यक्ति शामिल होंगे।		
36ङ	शीर्षक 9971	क्रम संख्या 36ग या 36घ में निर्दिष्ट बीमा सेवाओं का पुनर्बीमा।	शून्य	शून्य

(ख) पैराग्राफ 2 में,

(i) खंड (जेडई) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(जेडई) 'माल परिवहन एजेंसी' का अर्थ ऐसे किसी व्यक्ति से है जो सड़क मार्ग से माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और किसी भी नाम से माल भेजने का नोट जारी करता है, किन्तु इसमें शामिल नहीं है:-

(i) कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसके द्वारा स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं,

(ii) कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसके माध्यम से स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं";

(ii) खंड (जैडएफए) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(जैडएफबी) उक्त तालिका में क्रम संख्या 36ग और 36घ की प्रविष्टियों के प्रयोजनों के लिए, 'समूह' का अर्थ ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो बीमा प्राप्त करने के अलावा एक समान उद्देश्य से या एक समान आर्थिक गतिविधि में संलग्न होने के लिए एक साथ आते हैं, और इसमें शामिल हैं:

क. नियोक्ता-कर्मचारी समूह, जहाँ मास्टर/समूह पॉलिसीधारक और समूह के सदस्यों के बीच, लागू कानूनों के अनुसार, नियोक्ता-कर्मचारी संबंध विद्यमान हो;

ख. गैर-नियोक्ता-कर्मचारी समूह, जहाँ बीमा के अलावा अन्य सेवाओं/गतिविधियों के लिए मास्टर/समूह पॉलिसीधारक और समूह के सदस्यों के बीच स्पष्ट संबंध विद्यमान हो।";

(iii) खंड (जैडजी के पश्चात्, निम्नलिखित खंड को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(जैडजीए) 'स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय' का अर्थ ऐसे अनुबंधों का कार्यान्वयन है जो रूग्णता लाभ या चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अस्पताल व्यय लाभ, चाहे वे आंतरिक रोगी हों या बाह्य रोगी, यात्रा कवर और व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करते हैं;"।

2. यह अधिसूचना दिनांक 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(मंगेज सिंह)
उप-सचिव (वित्त)

मूल अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 30 जून, 2017 की फा० सं० 3(15)/वित्त(राज०-I)/2017-18/डीएस-VI/380, के द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा जिसे अंतिम बार दिनांक 08 सितंबर, 2025 की फा० सं० 3(20)/वित्त(व्यय०-I)/2025-26/डीएस-I/862 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 08 सितंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या 06/2025-राज्य कर (दर) के द्वारा संशोधित किया गया था।

फा. सं. 3 (28)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/ 831 **दिनांक: 22/09/2025**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
3. सचिव, माननीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
4. नि. स., नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
5. स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली ।
6. अपर मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
7. सचिव (सा.प्रशा.वि.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को इस अनुरोध के साथ आज की तिथि में दिल्ली राजपत्र भाग-IV (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
8. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
9. अपर सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
10. निदेशक, राज्य संसाधन प्रभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11. वेबसाइट।
12. गार्ड फ़ाइल ।

मंगेज सिंह

(मंगेज सिंह)
उप-सचिव (वित्त)